

अशक्त वृद्ध तथा विपदा ग्रस्त भूतपूर्व खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना पत्र

- 1-नाम.....
- 2-पिता का नाम.....
- 3-वर्तमान पता.....
.....
- 4-स्थायी पता.....
.....
- 5-जन्मतिथि {प्रमाणपत्र संलग्न करें}
- 6-जन्मस्थान {मोहल्ला/जिला तथा प्रदेश का पूरा पता}.....
.....
.....
- 7-कुल मासिक आय{निजी स्रोतों से}.....
- 8-आय की पुष्टि में प्रथमबार जिला अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें.....
- 9-क्या प्रार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है।{डोमोसाइल प्रमाणपत्र}.....
.....
- 10-शैक्षिक योग्यता.....
- 11-खेलकूद के क्षेत्र में उपलब्धियां {किस खेल में किस स्तर तक}.....
{अ}प्रदेशीय स्तर तक
{ब}राष्ट्रीय स्तर तक
{स}अन्तराष्ट्रीय स्तर तक
{द}पद्मश्री/पद्मभूषण/अर्जुन/द्रोणाचार्य/
यदि खेलकूद संगठन का अनुभव हो तो कृपया पूर्ण विवरण दें.....
.....
- 12-प्रार्थी की आय अन्य स्रोतों से {यदि कोई हो}.....
{मिलने वाली सहायता का पूर्ण विवरण}
- 13-प्रार्थी की शारीरिक अवस्था.....
{यदि अस्वस्थ अवस्था अपंग हो तो चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करें}

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त सभी तथ्य सत्य हैं। यदि मेरे द्वारा दिया गया कोई विवरण गलत पाया गया तो गलत तथ्यों के आधार पर जो वित्तीय सहायता मुझे स्वीकृत की जा चुकी है/जाएगी उसे पूरी की पूरी वापस करने के लिए बाध्य होऊँगा/

स्थान—

दिनांक—

प्रार्थी के हस्ताक्षर

गोपनीय

क्षेत्रीय कीड़ाधिकारी की संस्तुति

स्थान—

दिनांक—

क्षेत्रीय कीड़ाधिकारी के हस्ताक्षर

नोट

- 1—सभी प्रार्थना पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय कीड़ाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होने चाहिए।
- 2—जिस सूचनाओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्र मांगे गये हैं वे अवश्य दिये जाएंगे।
- 3—प्रार्थी उपयुक्त के अतिरिक्त यदि कोई अन्य सूचना देना चाहता है तो कागज पर उसे संलग्न कर सकता है।
- 4—क्षेत्रीय कीड़ाधिकारी की संस्तुति तथा आवश्यक प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि के बिना प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।